पत्रांक–19655/ 14/08/2014

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक/
सभी ग्रामीण आवास सहायक, बिहार।

पटना, दिनांक अगस्त, 2014

विषयः–इंदिरा अवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण में अल्युमिनियम सीट का उपयोग करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि इंदिरा आवास योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार लाभुकों को अपने मकान में किस तरह के सामग्री का उपयोग करना है यह लाभुकों के क्षेत्राधिकार में आता है। वर्तमान में भवन निर्माण सामग्री का दर बहुत ज्यादा रहने की वजह से प्रत्येक साल इंदिरा आवास योजना के अपूर्ण भवनों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, इसके कारण इंदिरा आवास योजना के मूल उद्देश्य की पूर्त्ति नहीं हो पा रही है।

2. इस संदर्भ में छत निर्माण हेतु alternative building materials का उपयोग करने के संदर्भ में एक कार्यशाला दिनांक 02.08.2014 को आयोजित हुआ था। उस कार्यशाला में तकनीकी टीम द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि यदि छत निर्माण हेतु अल्युमिनियम सीट का उपयोग किया जाए तो छत का रख–रखाव नगण्य होगा, उसका री–सेल भेल्यू कभी भी कम नहीं होगा तथा भविष्य में नया मकान बनाने के समय इस सीट को हटाकर कंक्रीट छत ढालकर दूसरा तल्ला बनाने में इस सीट का उपयोग किया जा सकता है।

3. वर्तमान में कंक्रीट का मकान निर्माण करने पर तकनीकी पदाधिकारी के आकलन के अनुसार लगभग 1.5 लाख रू0 (शौचालय सहित) लागत आयेगी। लेकिन बी0पी0एल0 परिवार को इस योजना के अन्तर्गत शौचालय सहित निर्माण करने के लिए 80 हजार रू0 दिया जा रहा है। इसके कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों परिवारों के द्वारा एकमुश्त 70 हजार रू0 की राशि लगाने में सक्षम नहीं रहने के कारण प्रत्येक साल हजारों की संख्या में मकान अपूर्ण रह जाते हैं।

4. उप विकास आयुक्त किशनगंज के द्वारा अत्यधिक वर्षा के कारण मकान के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएँ घटित होने तथा ढ़लाई वाले छतों में रिसाव होने पर उसकी मरम्मति में कठिनाई की बात कही गयी है तथा सुझाव दिया गया है कि क्षतिग्रस्त छतों की मरम्मति में होने वाली सुविधा एवं कम लागत के कारण टीन को छत की सामग्री के रूप में प्रावधानित किया जाए।

उपरोक्त के आलोक में तथा आवासों को समय के अन्दर पूर्ण करने हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश दिया जा रहा है :–

(i) मकान के छत का निर्माण लाभुकों के इच्छा अनुसार अल्युमिनियम सीट से भी कराया जा सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन टीन सीट से छत का निर्माण नहीं कराया जाए। चूंकि टीन सीट में जंग लग जाने की वजह से कभी भी टीन सीट में छेद हो सकता है जिसके कारण वर्षात में छत चूने की पूरी संभावना बनी रहेगी तथा टीन सीट का रि–सेल भेल्यू भी नहीं के बराबर होगा।

(ii) आज–कल बाजार में स्क्रेप से बने अल्युमिनियम सीट भी बहुतायत से मिलते हैं। अतः अल्युमिनियम सीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लाभुकों को प्राइमरी प्रोड्यूसर से अल्यूमिनियम सीट क्रय करने को प्रोत्साहित किया जाए। इस क्रम में बिचौलियों से बचने हेतु लाभुक के द्वारा भुगतान डी.डी. के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर/मैनुफेक्चरर कंपनी के नाम से किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में डिस्ट्रीब्यूटर/मैनुफेक्चरर को अग्रिम भुगतान लाभुकों द्वारा नहीं दिलवाया जाए।

(iv) प्राइमरी प्रोड्यूसर की विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

कृपया तद्नुसार कार्रवाई की जाए।

विश्वास भाजन,

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव।
13/8/14